रजिस्टर्ड नं० पी०/एच०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 20 मई, 1981/30 वैशाख, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 मई, 1981

संख्या 7-9/78-इलैक.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968, (1970 का अधिनियम सं0 19) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नियम प्रारुप—नियम बनाये जाने का प्रस्ताव करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति सहकारी समतियों से प्राथमिक सदस्य (निर्वाचन) नियम 1981 कहलायेंगे तथा इन्हें एतद्द्वारा जन साधारण की सूचनार्थ राजकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है जैसा कि अधिनियम की धारा 163 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अपेक्षित है और एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि प्रारुप नियमों पर राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 15 दिनों के पश्चात विचार किया जायेगा।

यदि इससे प्रभावित कोई व्यक्ति इन नियमों के सन्दर्भ में कोई आपत्ति करना चाहे या सुझाव देना चाहे तो वह उसे उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व सचिव (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002

को भेज सकता है। आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि प्राप्त हों, तो उन पर इन प्रारुप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जायेगा।

प्रारुप नियम

भाग 1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति (सहकारी समितियों से प्राथमिक सदस्य) (निर्वाचन) नियम, 1981 कहे जा सकते हैं।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) अभिप्रेत है ;
(ख) "सहायक पंजीकार" या "पंजीकार" से यथा स्थिति सहकारी समितियों के "सहायक पंजीकार" या पंजीकार अभिप्रेत है ;
(ग) "फार्म" से इन नियमों से संलग्न फार्म अभिप्रेत है ;
(घ) "समिति" से प्राथमिक सहकारी समिति अभिप्रेत है ;

(2) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग इन नियमों में किया गया है परन्तु उनकी परिभाषा नहीं दी गई उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम में क्रमशः दिया गया है।

भाग—2

3. निर्वाचन कार्यक्रम तथा सहकारी समितियों की सूची तैयार करना.—(1) जैसे ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 61 (1) के अन्तर्गत जिले में पंचायत समितियों के गठन की अधिसूचना जारी हो जाती है जिले का सहायक पंजीकार :—

(i) जिले में गठित की जाने वाली प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार 1 में सहकारी समितियों के दो प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु फार्म 2 में निर्वाचन कार्यक्रम बनाएगा ;
(ii) जिला में गठित की जाने वाली प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों की सूची तैयार करेगा ;
(iii) खण्ड (ii) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची को प्रकाशित करवा कर निम्नलिखित के कार्यालयों में रूप स्थानों पर उसकी प्रतियों को चिपकाएगा :—

(क) उपायुक्त ;
(ख) उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) ;
(ग) तहसीलदार;
(घ) विकास खण्ड अधिकारी; और
(ङ) अन्य ऐसे स्थान जो वह उचित समझें।

(2) ऐसी सहकारी समिति जिसे उस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जो खण्ड (iii) के अन्तर्गत प्रकाशित की गई है, को सूची में सम्मिलित करेगा यदि ऐसी प्राथमिक सहकारी समिति, जो सूची में दर्ज नहीं है, का कोई सदस्य सहायक पंजीकार को नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से 20 दिन पूर्व नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन करता है और सहायक पंजीकार आवेदन पत्र की विधि-मान्यता के बारे में अपने आपको सन्तुष्ट कर लेता है।

(3) सहायक पंजीकार आदेश द्वारा, जहां ऐसा करना समीचीन हो, उप-नियम (1) के अन्तर्गत बनाये गये निर्वाचन कार्यक्रम को किसी भी समय संशोधित परिवर्तित तथा उपान्तरित कर सकता है ;

परन्तु तब तक सरकार अन्यथा निर्देश नहीं देती ऐसे किसी आदेश से पूर्व की गई कोई कार्यवाही उस आदेश से अवैध नहीं होगी।

4. निर्वाचन की सूचना का प्राथमिक सहकारी समिति के अध्यक्ष या प्रधान को भेजा जाना.—(1) सहायक पंजीकार प्रत्येक कार्यक्रम तथा नियम 3 में उल्लिखित अन्तिम सूची की एक-एक प्रति पंचायत समिति में प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समिति के, यथा स्थिति, अध्यक्ष या प्रधान को फार्म–2 में सूचना के साथ प्रत्येक समिति के अध्यक्ष या प्रधान से यह अपेक्षा करते हुये भेजेगा कि वह :—

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 63 (i) (ii) के अन्तर्गत पंचायत समिति के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु उसी रीति के अनुसार जिस प्रकार उस समिति की प्रबन्धक समिति के सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, एक प्रतिनिधि चुनने के लिए सूचना जारी होने की तिथि से 20 दिनों के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलायें ;

(ख) इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम निर्वाचन वाले दिन ही सहायक पंजीकार को भेजें ;

(ग) निर्वाचित प्रतिनिधि को समिति द्वारा पारित उस प्रस्ताव की प्रति सहित जिसके द्वारा उसको प्रतिनिधित्व के लिये प्राधिकृत किया गया है, निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के समक्ष समिति के अधिकार क्षेत्र मे प्राथमिक सहकारी समितियों मे दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु फार्म-1 में बनाये गये कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट किये गये स्थान; तिथि तथा समय में उपस्थित होने को कहे :

परन्तु सहायक पंजीकार द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि निर्वाचन फार्म– (2) में नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सम्पन्न हो जाये !

(2) जब भी समिति का अध्यक्ष या प्रधान, जैसी भी स्थिति हो, समिति की बैठक बुलाता है तो वह समिति के प्रतिनिधि के निर्वाचन से पूर्व सदस्यों को सहायक पंजीकार मे नियम 3 के अन्तर्गत प्राप्त निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष या प्रधान, यथा स्थिति, ग्राम सभा की बैठक बुलाने में असफल रहता है या बैठक बुलाने के पश्चात् सदस्यगण उप-नियम (1) के खण्ड (क) की अपेक्षा अनुसार प्रतिनिधि चुनने में असफल रहते हैं तो समिति का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार समपहृत समझा जायेगा।

(4) सहायक पंजीकार अपने जिले की प्रत्येक पंचायत समिति के प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समिति के लिये प्रतिनिधियों के मानों की पृथक सूची तैयार करेगा जो उस पंचायत समिति की सहकारी समितियों से उसको उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्राप्त हों। वह इस सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के बाहर लगायेगा तथा उसकी एक प्रति प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर की भी भेजेगा।

5. निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) की नियुक्ति.—सहायक पंजीकार निर्वाचन करवाने के लिये लिखित रूप म ऐसे व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करेगा जो राजपत्रित अधिकारी के पद से कम न हो।

6. नामांकन पत्रों का भरा जाना तथा प्रतिभूतियों का जमा करना.—(1) कोई भी व्यक्ति जो पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में प्राथमिक सहकारी समिति का सदस्य है, पंचायत समितियों के दो सदस्यों के निर्वाचन के लियें नामांकित किया जा सकता है बशर्ते कि वह अपना सभी तरह से पूर्ण नामांकन पत्र निर्वाचन कार्यक्रम में दी गई तिथि, स्थान तथा समय पर स्वंय प्रस्तुत करता है या अपने प्रस्तावक या समथक के द्वारा भेजता है।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार का नामांकन पृथक-पृथक नामांकन पत्र में फार्म–3 में दिया जायेगा जो उम्मीदवार

द्वारा अनुमति के रूप में और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो प्रस्तावक और समर्थक हो, जो उसी समिति के सदस्य होंगे, द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य के नामांकन पत्र के साथ लोक सभा या राज्य विधान सभा के सदस्य, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित; उस विशेष जाति या जनजाति को विनिर्दिष्ट करते हुये जिससे उम्मीदवार सम्बन्धित है, यह घोषणा भी संलग्न होनी चाहिय कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित हैं;

(4) उपर्युक्त उपबन्ध के अन्तर्गत नामांकन पत्र दाखिल करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय या करने से पूर्व एक सौ रुपये और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में पच्चास रुपये की राशि निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के पास नकद जमा करेगा या करायेगा और जब तक यह राशि जमा नहीं करवाई जाती तब तक उम्मीदवार विधिवत् नामजद नहीं समझा जायेगा।

(5) यदि कोई उम्मीदवार जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उप-नियम (4) में निर्दिष्ट राशि जमा की गई है निर्वाचित नहीं होता और उसके पक्ष में दिये गये मत कुल वैध मतों के 1/6 भाग से कम हैं तो जमा की गई राशि सरकार को समपहृत हो जायेगी।

(6) (क) जमा की गई राशि उस स्थिति में :-

(i) जहां उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द किया गया हो;
(ii) जहां उम्मीदवार ने विनिर्दिष्ट अवधि में अपने नामांकन पत्र वापिस ले लिये हों; या
(iii) जहां उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु हो गई हो;

किसी भी समय, यथा स्थिति, नामांकन पत्र रद्द होने या वापिस लिये जाने या उम्मीदवार की मृत्यु होने पर उम्मीदवार को या यदि उस द्वारा जमा नहीं की हो तो उस व्यक्ति को जिसने यह जमा की थीं, को या उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में उसके विधिक प्रतिनिधि को, निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के लिखित आदेश के अनुसार वापिस की जायेगी।

(ख) जमा की गई राशि उस स्थिति में :—

(i) जहां यद्यपि उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हुआ है किन्तु उप-नियम (5) के अन्तर्गत जमा राशि समपहृत नहीं होती;
(ii) जहां उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है।

चुनाव परिणाम की घोषणा के पश्चात् उम्मीदवार को या यदि उस द्वारा जमा नहीं की हो तो उस व्यक्ति को जिसने यह जमा की हो, वापिस की जायेगी।

7. नामांकन पत्रों की संवीक्षा.—(1) नामांकन पत्रों की संवीक्षा हेतु निर्धारित समय पर उम्मीदवार, उसका प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचन कार्यक्रम में नामांकन पत्र की संवीक्षा हेतु विनिर्दिष्ट किये गये स्थान पर उपस्थित होंगे और निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) ऐसे व्यक्तियों को सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तब नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करेगा और किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा नामांकन पत्र पर उस समय उठाए गये समस्त आक्षेपों का निर्णय करेगा और ऐसे आक्षेपों के कारण या स्वविवक से और ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसा कि वह आवश्यक समझ, किसी नामांकन पत्र को रद्द कर सकता है:

परन्तु किसी उम्मीदावर का नामांकन पत्र रद्द किया जायेगा, यदि :—

(क) वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 64 में उल्लिखित निरर्हताओं वाला है;
(ख) यदि उम्मीदवार उसका प्रस्तावक तथा समर्थक उसी प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्य नहीं है;

परन्तु और यह कि यदि उम्मीदवार, प्रस्तावक अथवा समर्थक का परिचय बिना किसी प्रतिकूल सन्देह से अन्यथा सिद्ध हो जाये, तो उम्मीदवार का नामांकन पत्र केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसका अपना नाम प्रस्तावक या समर्थक का नाम अथवा अन्य विवरण अशुद्ध लिखा गया है।

8. नामांकन पत्र वापिस लेना.—(1) कोई भी उम्मीदवार लिखित सूचना देकर अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकता है जो उस द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये और उम्मीदवार द्वारा स्वयं या प्रस्तावक या समर्थक द्वारा जिसको इस सम्बन्ध में ऐसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो, नामांकन पत्र वापिस लेने के लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) को दी जानी चाहिये।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसने उप-नियम (1) के अन्तर्गत नामांकन पत्र वापिस लेने की सूचना दी है, उसको प्रत्याहरण रद्द करने की अनुमति नहीं होगी और उसी निर्वाचन के लिये वह पुनः नामांकित नहीं हो सकेगा।

9. उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन.—नामांकन पत्र वापिस लेने के लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर, प्रत्यक वैध नामजद उम्मीदवार को (जिसे इसम इसके पश्चात् चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कहा जायेगा) चुनाव चिन्हों की अनुमोदित सूची से जिसे निदेशक निर्वाचन (स्थानीय निकाए) हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिचना द्वारा विहित किया जाएगा, एक चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा।

10. नामांकन की सूची का लगाना. -प्रत्येक लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) फार्म –iv में हिन्दी, देवनागरी लिपि की वर्णमाला के क्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जिसमें प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम के सामने उसे आवंटित किया गया चिन्ह दर्शाया गया हो, तैयार करके अपने कैम्प कार्यालय के बाहर लगा कर प्रकाशित करेगा।

11. विधिवत् नामांकित उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन के पश्चात कार्य विधि.—(1)यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के समान हो तो निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर सभी उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा।

(2)यदि उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों से कम हो तो निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) ऐसे सभी उम्मीदवारों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा और निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची सहित रिक्त स्थानों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुये एक विवरण सहायक पंजीकार और जिलाधीश को भेजेंगा। फिर सहायक पंजीकार शेष रिक्त स्थानों को भरने के लिये नियम–3 के अन्तर्गत कार्रवाई करगा।

(3)यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, तो गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन होगा। केवल उन्हीं मतदाताओं के मत लिये जा सकेंगे जो अपने साथ सम्बन्धित समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि, जो सम्बन्धित समिति के प्रधान, अध्यक्ष या सचिव, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अनु प्रमाणित हो और जिसके द्वारा मतदाताओं को प्रतिनिधित्व के लिये प्राधिकृत किया गया हो, लाते हैं।

(4) मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) ऐसे उम्मीदवारों के सम्मुख जो उपस्थित हो, मतपत्रों की गणना करेगा और परिणाम की निम्न प्रकार से घोषणा करेगा :—

(क) चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार जो सबसे अधिक वैध मत प्राप्त करता है, या जब एक से अधिक सदस्य निर्वाचित किये जाने हों, तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से चुन जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर वे उम्मीदवार जिन्होंने सबसे अधिक वैध मत प्राप्त किये हैं, निर्वाचित घोषित किये जायेंगे।

(ख) दो सदस्यों के चुनाव के लिये प्रत्येक मतदाता दो मत देगा। चुनाव लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह मतपत्र पर प्रकट होंगे और मतदाता दो उम्मीदवारों के नामों के सम्मुख जिनको वह अपना मत देना चाहता हो, एरो-क्रास चिन्ह वाली मोहर लगाएगा।

(ग) एसी स्थिति में जहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा बराबर मत प्राप्त किये गये हों निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) ऐसे उम्मीदवारों की उपस्थिति में जितने स्थान भरे जाने हैं उतने

के लिये लाट (पर्ची) डालेगा और जिस उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम पहले निकलेगा या निकलेंगे उसको या उनको निर्वाचित घोषित करेगा।

12. कार्यवाही का अभिलेखा तैयार करना तथा चुनाव परिणाम का प्रकाशन.—मतदान की सम्पन्नता के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर):—

(क) फार्म—V में निर्वाचन की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करेगा और इस पर हस्ताक्षर करेगा, उसमें की गई प्रत्येक शुद्धि को अपने अर्ध-हस्ताक्षर से अनु-प्रमाणित करेगा और प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को, यदि वह ऐसा करना चाहे, ऐसे अभिलेख में हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने की अनुमति देगा, और

(ख) चुनाव परिणाम की एक प्रति पंचायत समिति के कार्यालय में और ऐसे अन्य सहज दृष्य स्थान पर, जो चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) द्वारा निर्धारित किया जाए, चिपकाकर प्रकाशित करेगा और साथ ही एक प्रति जिलाधीश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु और एक प्रति सहायक पंजीकार को अभिलेख हेतु भेजेगा।

13. निर्वाचन सामग्री का बांटना तथा उसका अनुरक्षण.—(1) निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) मतपत्र तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य पत्रों को पृथक-पृथक पैकटों में डालकर उनको मोहर बन्द करके प्रत्येक पैकट पर उसके अन्दर डाली गई अन्तर्वस्तु का विवरण निर्वाचन जिससे वे सम्बन्धित है तथा उसकी तिथि लिखेगा।

(2) पैकटों को सम्बन्धित जिलाधीश के कार्यालय में छः मास तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा, और उसके पश्चात यदि सरकार या अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक अन्यथा निदेशित न हो, इन्हें नष्ट किया जाएगा।

भाग—3

प्रकीर्ण

14. आकस्मिक रिक्तियों के भरने की प्रक्रिया.—जब पंचायत समिति के इन नियमों के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यों में से किसी सदस्य का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अपदस्थता के कारण रिक्त होता है और उसके स्थान पर नए सदस्य का निर्वाचन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 70 के उपबन्धों के अनुसार होना है तो, यह निर्वाचन उसी रीति के अनुसार होगा जैसी कि इन नियमों में सामान्य निर्वाचन हेतु विहित है और निर्वाचन कार्यक्रम रिक्ति होने के पश्चात् यथा-शीघ्र सुविधाजनक ही बनाया जाएगा।

15. अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश.—ये निर्वाचन निदेशक निर्वाचन (स्थानीय निकाए) हिमाचल प्रदेश के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन संचालित होंगें। वह इस सम्बन्ध में ऐसे निदेश देगा जैसे वह ठीक समझें। यदि इन नियमों के निर्वाचन के बारे में कोई शंका या विवाद हो तो वे निदेशक निर्वाचन (स्थानीय निकाए), हिमाचल प्रदेश को भेजे जायेंगे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

16. निर्वाचन याचिका.—इन नियमों के अन्तर्गत पंचायत समिति के लिये निर्वाचित किसी भी सदस्य के निर्वाचन को किसी प्राधिकारी या न्यायालय में अधिनियम की धारा 187 के अधीन निर्वाचन याचिका के अतिरिक्त अन्यथा चुनौती नहीं दी जाएगी। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने तथा उनके निपटाने हेतु उपबन्ध, जैसे हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति निर्वाचन नियम, 1973 के भाग 7 म दिये गये हैं, इन नियमों के अन्तर्गत हुए निर्वाचनों सम्बन्धी निर्वाचन याचिकाओं के, प्रस्तुतीकरण और निपटान में भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें।

फार्म—1

[नियम 3 का उप-नियम (1) देख]

पंचायत समिति क्षेत्राधिकार में आने वाली सहकारी समितियों से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये निर्वाचन कार्यक्रम

1. जिले का नाम
2. पंचायत समिति का नाम

3. निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) का नाम
4. निम्न के लिये तिथि, समय और स्थान:

(क) नामांकन पत्र भरने.....
(ख) नामांकन पत्रों की संवीक्षा.....
(ग) नामांकन पत्रों को वापिस लने.....
(घ) यदि आवश्यक हो तो मतदान.....

दिनांक..... सहायक पंजीकार के हस्ताक्षर।

फार्म–2

[नियम 4 का उप-नियम (1) (देखें]
सहकारी समिति के प्रधान या अध्यक्ष को सूचना

सेवा में

अध्यक्ष या प्रधान,
प्राथमिक सहकारी समिति।
.....

(यहां समिति के अध्यक्ष या प्रधान का पूरा पता लिखें)

आपसे हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति (सहकारी समितियों से प्राथमिक सदस्य) निर्वाचन नियम, 1981 के नियम 3(1) के अन्तर्गत अपेक्षा की जाती है कि आप इस सूचना की तिथि से बीस दिन के अन्दर, समिति के एक सदस्य को दिनांक.....को होने वाले चुनाव में, जसा कि संलग्न कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट है, प्रतिनिधित्व हेतु प्राधिकृत करनें के लिय समिति की आम सभा की बैठक बुलाऐं।

2. आप इस प्रकार आम सभा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम सहायक पंजीकार को उसी दिन भेज दें जिस दिन समिति की आम सभा द्वारा उसका निर्वाचन हुआ है।

3. सदस्य को, निर्वाचन के लिये निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर आप या समिति के सचिव द्वारा अनु-प्रमाणित समिति के प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के सम्मुख उपस्थित होनें के लिए कहा जाये।

4. कृपया इस बात का ध्यान रखें कि केवल समिति के प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत सदस्यों को ही निर्वाचन में भाग लेनें की अनुमति दी जायेगी।

(सहायक पंजीकार के हस्ताक्षर)

फार्म 3

(नियम 5 का उप-नियम (2) देखें]
नामांकन पत्र

1. जिले का नाम
2. पंचायत समिति का नाम
3. (क) उम्मीदवार का नाम
   (ख) पिता/पति का नाम
   (ग) पता
   (घ) समिति का नाम जिसका उम्मीदवार सदस्य है

4. (क) प्रस्तावक का नाम
   (ख) प्रस्तावक का पता
   (ख) समिति का नाम जिसका प्रस्तावक सदस्य है
   (घ) प्रस्तावक के हस्ताक्षर
5. (क) समर्थक का नाम
   (ख) समर्थक का पता
   (ग) समिति का नाम जिसका समर्थक सदस्य है
   (घ) समर्थक के हस्ताक्षर

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं, उक्त नाम का उम्मीदवार, इस नामांकन पत्र को अपनी सहमति प्रदान करता हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 74 के अधीन उल्लिखित किसी भी अयोग्यता को धारण नहीं करता हूं और मैं पंचायत समिति के प्राथमिक सदस्य के चुनाव के लिये निरर्हत उम्मीदवार हूं।

दिनांक :
स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं .....जाति/जन-जाति जो प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति घोषित की गई है का सदस्य हूं।

दिनांक :
स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर।

अनु-प्रमाणित

संसद या विधान सभा सदस्य/मैजिस्ट्रेट या तहसीलदार के हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) द्वारा पृष्ठांकन

क्रम संख्या.....

यह नामांकन पत्र मुझे.....द्वारा.....दिनांक (को) समय.....दिया गया।

दिनांक :
स्थान :

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के हस्ताक्षर।

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) का आदेश

स्वीकृत/अस्वीकृत
अस्वीकृत हेतु कारण :

दिनांक :
स्थान :

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के हस्ताक्षर

फार्म 4

(नियम 10 देखें)

निर्वाचन के लिए विधिवत नामित उम्मीदवारों की सूची

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम तथा विवरण	आवंटित चिन्ह	अभियुक्तियां
1.			
2.			
3.			
4.			

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के हस्ताक्षर ।

फार्म 5

(नियम 12 देखें)

1. जिले का नाम
2. पंचायत समिति का नाम
3. निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि
4. नामांकन पत्र
   (1) नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि, समय तथा स्थान
   (2) दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की संख्या
   (3) नामांकन पत्रों की संविक्षा की तिथि, समय तथा स्थान
   (4) वापिस लिय गये नामांकन पत्रों की संख्या
   (5) अस्वीकृत नामांकन पत्रों की संख्या
   (6) स्वीकृत नामांकन पत्रों की संख्या

5. (1) मतदान की तिथि, समय तथा स्थान
   (2) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या
6. निर्वाचित सदस्यों की संख्या:

क्रम संख्या	सफल उम्मीदवारों के नाम
	(क) महिलाएं (ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति (ग) अन्य

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के हस्ताक्षर ।

स्थान :

पी0 पी0 श्रीवास्तव,
सचिव, (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।